



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन-सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

## सहायक अभियन्ता एवं तकनिकी सहायक निलम्बित

जयपुर, 23 मार्च। जयपुर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत एक सहायक अभियन्ता एवं एक तकनिकी सहायक को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि सहायक अभियन्ता (पवस) इटावा के पद पर कार्यरत संदीप मालवीय एवं इसी उपखण्ड में तकनिकी सहायक के पद पर कार्यरत दिलदार अली के विरुद्ध मकान के उपर से जा रही विद्युत लाईन को जानबूझकर विलम्ब से शिफ्ट करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री हैल्पलाईन पर शिकायत दर्ज की गई थी। इस संदर्भ में प्रथम दृष्टा शिकायत के तथ्य सही पाए जाने पर इनको निलम्बित किया गया है।

उन्होंने बताया कि निलम्बन काल में संदीप मालवीय का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता (कोटा जोन), कोटा के कार्यालय में रहेगा एवं दिलदार अली का मुख्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) नैनवा के कार्यालय में रहेगा।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 203/2015